कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 102 / 2021 / 10–11 / 16 / 525 भोपाल, दिनांक 9-2-22

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
(सा0) वनमंडल, देवास / खण्डवा / शाजापुर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अन्तर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस–2 के निर्माण हेतु 147.09 हेक्टेयर वनभूमि (वनमंडल खण्डवा की 46.989 हे0 एवं वनमंडल देवास की 100.101 हे0) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रं. / एफ–3 / 102 / 2021 / 10–11 / 16 / 517 दि. 08.02.2022

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल के पत्र दिनांक 07.02.2022 से प्रकरण मे प्राप्त प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति अतंर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि जमा करने हेतु लेख किया गया था। उपरोक्त संदर्भित पत्र के शर्त क्रमांक– A(1) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

शर्त क्रमांक– A(1) के पालन में प्रकरण में तैयार की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार राशि रू. 9,89,81,514 / – में से राशि रूपये 8,99,83,194 / – आवेदक संस्थान से कैम्पा मद में जमा कराई जावे, एवं 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि राजस्व मद मे राशि रूपये 89,98,320 / – आवेदक संस्थान से एम.पी. ऑनलाईन ट्रेजरी अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा कराई जावे।

उपरोक्त संदर्भित पत्र मे शेष शर्तो का पालन यथावत किया जावें।

9/2/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 102 / 2021 / 10–11 / 16 / 526 भोपाल, दिनांक 9-2-22

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त खण्डवा, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

9/2/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 102 / 2021 / 10–11 / 16 / 517 भोपाल, दिनांक 08/02/2022

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
(सा0) वनमंडल, देवास / खण्डवा / शाजापुर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अन्तर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस–2 के निर्माण हेतु 147.09 हेक्टेयर वनभूमि (वनमंडल खण्डवा की 46.989 हे0 एवं वनमंडल देवास की 100.101 हे0) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPA 016/2021-BHO दिनांक 07.02.2022

––00––

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

शर्त क्रमांक– A(1) के पालन में प्रकरण में तैयार की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार राशि रू. 9,90,41,513 /– आवेदक संस्थान से कैम्पा मद में जमा कराई जावें।

शर्त क्रमांक– A(2, 3) के पालन में प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि 151.22 हेक्टेयर को वन विभाग के नाम हस्तांतरण / नामान्तरण कराकर फार्म पी–2 एवं कब्जा रसीद आदि की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गयी गैर वनभूमि को वनभूमि घोषित करने संबंधी अधिसूचना का प्रारूप वन भू–अभिलेख शाखा को भेजते हुए की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

शर्त क्रमांक– A(4) के पालन में प्रभावित 147.09 हेक्टेयर वनभूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रू. 18,07,13,303 आवेदक संस्थान से कैम्पा मद में जमा करने हेतु लेख करें, ताकि आवेदक संस्थान शर्त क्रमांक– A(6) के अनुसार कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से समस्त राशियों का भुगतान ऑनलाईन राशि जमा कर सके।

शर्त क्रमांक– A(7) के पालन में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रस्तावित वनभूमि का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवायें।

शर्त क्रमांक– A(8) के पालन में आवेदक संस्थान से वचन पत्र लिया जावें, कि आवेदक संस्थान अपने व्यय पर वनविभाग को वन्यजीवों एवं अन्य वानिकी कार्य हेतु निःशुल्क पानी उपलब्ध करवायेगें।

शर्त क्रमांक– A(9) के पालन में आवेदक संस्थान टाइगर कॉरिडोर वाले वनक्षेत्र हेतु वन्यजीव प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त कर अनुमोदन की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें।

शर्त क्रमांक– A(10) के पालन में टाइगर कॉरिडोर वाले वनक्षेत्र मे Habitat management plan (grassland managment and water holes) आवेदक संस्थान के व्यय पर तैयार किया जावें।

शर्त क्रमांक– B(3) के पालन में अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि देय संबंधी वचन पत्र आवेदक संस्थान से प्राप्त कर प्रेषित किया जावें।

भारत सरकार द्वारा जारी शेष समस्त शर्तो का शर्तवार पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त कर इस कार्यालय को 02 प्रति में प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

8/2/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–3 / 102 / 2021 / 10–11 / 16 / 518 भोपाल, दिनांक 08/02/2022

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) उज्जैन वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त खण्डवा, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

8/2/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-II).docx

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनगण्डल शाजापुर (म.प्र.)

ई-मेल : dfotsjpur@mp.gov.in,

क्रमांक/माचि/2022/756 शाजापुर, दिनांक 28.2.22

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्र. 20
मण्डलेश्वर जिला खरगौन (म.प्र.)

विषय :– जिला खण्डवा एवं जिला देवास के अंतर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस–II के निर्माण हेतु 147.09 हेक्टैयर वन भूमि (वनमंडल खण्डवा की 46.989 हे. एवं वनमंडल देवास की 100.101 हे) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 मण्डलेश्वर, जिला खरगौन को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :– 1.भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र./FN0.-6-MPA 016/2021-BHO दिनांक 07.02.2022

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्र./एफ–3/102/2021/10–11/16/517 दिनांक 08.02.2022 एवं 525 दि. 09.02.22

– 0 –

विषयांकित संदर्भ में लेख हैं कि जिला खरगौन एवं जिला देवास के अंतर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस–II के निर्माण हेतु 147.09 हेक्टैयर वन भूमि (वनमंडल खण्डवा की 46.989 हे. एवं वनमंडल देवास की 100.101 हे) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन को उपयोग पर देने के प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश प्रकरण क्र. 04/अ–19(3)/2021–22 दिनांक 02.07.2021 से ग्राम मांगलिया तहसील मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर की रकबा 44.76 हेक्टेयर, ग्राम फावका की 39.54 हेक्टेयर, ग्राम कड़ुला की 25.48 हेक्टैयर, ग्राम माल्याहेड़ी की 13.44 हेक्टेयर एवं ग्राम बाण्डाहेड़ी की 28.00 हेक्टेयर कुल विभाग को हस्तांतरित 151.22 हेक्टेयर भूमि की निर्देशानुसार 11 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजनाओं में निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की गई हैं :–

क्र.	योजना का नाम	वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम	खसरा नंबर	रकबा हे. में	कुल प्रस्तावित राशि	वृक्षारोपण की कुल लागत राशि	पर्यवेक्षण शुल्क	मु.व.सं. उज्जैन की तकनीकी स्वी. क्र./दि.
1	आई.एस.पी कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस–II	मांगलिया	72, 73, 40/3, 182, 220,285/4, 736/4, 239	44.76 (कार्य योग्य 44 हे.)	31307108	28461008	2846101	36/07.09.21
2		फावका	816/1 से 19, 816/822	39.54 (कार्य योग्य 39 हे.)	23709077	21553706	2155371	37/07.09.21
3		कड़ुला	2243/3, 2224, 2245, 2246, 2247	25.48 (कार्य योग्य 25 हे.)	15437247	14033861	1403386	38/07.09.21
		माल्याहेड़ी	939, 941	13.44 (कार्य योग्य 13 हे.)	8529093	7753721	775372	39/07.09.21
		बाण्डाहेड़ी	103, 313, 435	28.00 (कार्य योग्य 27 हे.)	19998988	18180898	1818090	40/07.09.21
	योग				98981513	89983194	8998320	

D.M. Letter 2020

Scanned with CamScanner

उपरोक्त स्वीकृत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की लागत राशि कुल रूपये 89983194/– (आठ करोड़ निन्यानवे लाख तिरयासी हजार एक सौ चौरानवे रू. मात्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में राशि जमा की जावें तथा प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 8998320/– (नवासी लाख अन्ठानवे हजार तीन सौ बीस रू0 मात्र) राज्य की राजस्व मद "0406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी, (800) अन्य प्राप्तियां, (0229) विविध प्राप्तियां मद में एम.पी. ऑनलाईन ट्रेजरी अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा की जाकर चालान अथवा डी.डी. इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वनमंडलधिकारी
वनमंडल शाजापुर

क्रमांक/माचि/2022/757 शाजापुर, दिनांक 23 2.22

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पदेन वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपवनमंडलाधिकारी, वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी शाजापुर की ओर भेजकर लेख किया जाता हैं कि कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा आदेश दिनांक 02.07.2021 से हस्तांतरित ग्राम मांगलिया, फावका, कडुला, माल्याहेड़ी, बाण्डाहेड़ी तहसील मो.बड़ोदिया की 151.22 हे. गैर वनभूमि का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही कर शीघ्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

वनमंडलधिकारी
वनमंडल शाजापुर

Scanned with CamScanner